



WUEGA का अधिनियमन: महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम

यह एडिटरियल 04/03/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["A women's urban employment guarantee act"](#) लेख पर आधारित है। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) की संभावना पर विचार किया गया है।

प्रलम्ब के लिये:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), बेरोज़गारी दर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), अय्यंकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना (AUEGS), मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नधि (PM SVANidhi)।

मेन्स के लिये:

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) - आवश्यकता एवं संभावित चुनौतियाँ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) अकुशल शारीरिक कार्य के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने में सहायक रहा है। हालाँकि इसकी शहरी वास्तविकताएँ भिन्न हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो शहरी महिलाओं के बीच रोज़गार की उच्च अपूर्ण मांग को दर्शाती है। इस परदृश्य में, भारत में महिलाओं के बीच शहरी बेरोज़गारी की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक राष्ट्रीय महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (Women's Urban Employment Guarantee Act- WUEGA) का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA):

- **परिचय:** महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) एक प्रस्तावित विधान है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोज़गारी को, विशेष रूप से महिलाओं के लिये, संबोधित करना है। यह विशेष रूप से शहरी महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसरों की गारंटी देने की मंशा रखता है।
- **उद्देश्य:** WUEGA का लक्ष्य शहरों में पुरुषों और महिलाओं के बीच रोज़गार के अवसरों में अंतराल को दूर करना होगा। WUEGA एक सुरक्षा जाल (safety net) और आय सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
- **संभावित विशेषताएँ:**
 - **रोज़गार की गारंटी:** WUEGA महिलाओं को प्रतिवर्ष न्यूनतम कार्यदिवस (उदाहरण के लिये, 150 दिनों) की गारंटी देने का प्रस्ताव करता है।
 - **स्थानीय कार्य:** महिला के नविस से उचित दूरी (जैसे, 5 किलोमीटर) के भीतर कार्य अवसर सृजित किये जाएँगे।
 - **अभिव्यक्ति अवसर:** कामकाजी माताओं के समक्ष वदियमान चुनौतियों का समाधान करने के लिये कार्यस्थलों पर बाल देखभाल केंद्रों जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।
 - **कौशल विकास:** प्रस्ताव में उपलब्ध कार्य अवसरों और आवेदक समूह में महिलाओं की योग्यता के बीच किसी भी कौशल अंतराल को दूर करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं।
 - **महिला-नेतृत्वकारी प्रबंधन:** यह प्रस्ताव करता है कि WUEGA प्रबंधन कर्मचारियों में एक उल्लेखनीय भाग महिलाओं का हो; WUEGA के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारी की कम से कम 50% (आदर्श रूप से 100%) महिलाएँ हो।
 - **समर्थनकारी उपाय:** कल्याण बोर्डों में स्वचालित समावेशन जैसे प्रोत्साहन उपाय अपनाये जा सकते हैं; ये मातृत्व अधिकार और पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा आपातकालीन नधि के लिये स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) की आवश्यकता क्यों है?

- शहरी रोज़गार में लैंगिक असमानताएँ:

More Rural Women Return to Workforce than Urban Females

Female labour force participation in rural India recovered swiftly in the past five years; gradual increase for urban areas




 Rural  Urban

Labour Force Participation Rate




Steady fall in unemployment rate since FY 2018



महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) को लागू करने में संभावित चुनौतियाँ:

- वित्तीय बोझ:

- गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने से वेतन/मज़दूरी, अवसंरचना वक़िास (उदाहरण के लिये, कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुवधिएँ) और कार्यक्रम प्रशासन के संबंघ में उल्लेखनीय लागत उत्पन्न होती है ।
- उदाहरण के लिये, यद 500 रुपए दैनिक मज़दूरी के साथ प्रतिवर्ष 150 दनियों के कार्य की कल्पना करें, जसिका वतितपोषण केंद्र सरकार द्वारा कथिा जाना है, तो इस पर **सकल घरेलू उत्पाद** का लगभग 1.5% वयय करना होगा ।
- **स्थानीय कषेत्र में रोज़गार सृजन:**
 - कसिी महलिा के नविास से उचति दूरी (उदाहरण के लिये, 5 कमी) के भीतर परयाप्त वविधि कार्य अवसर का सृजन करना, वशिष रूप से सघन आबादी वाले शहरों में, चुनौतीपूर्ण सदिध हो सकता है ।
 - कार्यक्रम में उपयुक्त कार्य वकिल्पों की अभकिल्पना के लिये स्थानीय आवश्यकताओं एवं आधारभूत संरचनाओं पर वचिार करने की आवश्यकता होगी ।
- **सुरक्षा संबंधी चतिाएँ:**
 - शहरी परविश में महलिाओं के लिये, वशिष रूप से कार्य के लिये आवागमन के दौरान, सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण चतिा का वषिय है ।
 - सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या हसिा का भय महलिाओं को रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है, जसिसे कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमति हो सकती है ।
 - NCRB की **वार्षिक अपराध रिपोर्ट 'भारत में अपराध 2022' के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या** पर महलिाओं के वरिुद्ध अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखलि करने की दर 75.8 दरज़ की गई थी ।
- **कौशल अंतराल:**
 - कई शहरी महलिाओं में औपचारिक रोज़गार के अवसरों के लिये आवश्यक कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है ।
 - गुणवत्तापूर्ण शक़िषा और व्यावसायिक प्रशक़िषण कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सीमति हो सकती है, जसिसे कौशल स्तरों में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं और महलिाओं की रोज़गार कषमता (employability) में बाधा आ सकती है ।
- **कषमता नरिमाण:**
 - सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन में कम से कम 50% महलिाओं की उपस्थति सुनिश्चति करना आरंभ में कठनि सदिध हो सकता है ।
 - कार्यक्रम के प्रबंधन के लिये एक सुदृढ़ महलिा कार्यबल के नरिमाण के लिये केंद्रति कषमता-नरिमाण पहल की आवश्यकता हो सकती है ।
- **कानूनी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:**
 - कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये पंजीकरण, नौकरी आवंटन, शकियात नविारण एवं नगिरानी के प्रबंधन हेतु एक सुव्यवस्थति नौकरशाही की आवश्यकता होगी ।
 - ऐसे व्यकतयिों या समूहों द्वारा वरिोध की स्थति बिन सकती है जो परविरतन के प्रतरिोधि हैं और यथास्थति बिनिए रखने की वकालत करते हैं । यह महलिाओं के रोज़गार अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून के पारति होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है ।
- **सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता:**
 - शहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक अपेकषाएँ कार्यबल में महलिाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार करने में बाधक बन सकती हैं, वशिष रूप से शहरी कषेत्रों में जहाँ पारंपरिक लिंग भूमकिएँ अधिक प्रकट हैं ।
 - देखभालकर्ता या गृहणिी के रूप में महलिाओं की भूमकिएँ के संबंघ में प्रचलति रूढ़िवादिता औपचारिक रोज़गार में उनकी भागीदारी के लिये प्रतरिोध पैदा कर सकती है ।



भारत में शहरी रोज़गार के लिये की गई सरकारी पहलें:

- **केंद्र सरकार द्वारा:**
 - दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM)
 - प्रधानमंत्री सटरीट वेंडर आतमनरिभर नधि (पीएम SVANidhi)
- **राज्य सरकारों द्वारा:**
 - केरल देश के पहले राज्यों में से एक था जसिने 'अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना' (Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme- AUEGS) के माध्यम से 100 व्यक्ति-दिवस का गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान किया था, जसिने वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। योजना दशानरिदेशों के अनुसार केरल में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता देने की आवश्यकता है कवि योजना के लाभार्थियों में कम से कम 50% हसिसेदारी रखती हों।
 - हिमाचल प्रदेश की **मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वतितीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 120 दिनों की गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्ष्य है।
 - झारखंड में **मुख्यमंत्री श्रमिक योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वतितीय वर्ष में गारंटीकृत 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान कर राज्य में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्ष्य है।

WUEGA के प्रभावी अधिनियमन के लिये आगे की राह:

- **लिंग-वभिदीकृत डेटा एकत्रित करना:**
 - लिंग-वभिदीकृत डेटा (Gender-disaggregated data) नीति निर्माताओं को शहरी महिलाओं के समक्ष रोजगार तक पहुँच और कार्यरत बने रहने में वदियमान वशिषिट चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान करता है।
 - संग्रहित डेटा में पसंद की जाती नौकरियों के रुझान, वर्ष के वे दिने जब महिलाएँ इन कार्य अवसरों से संलग्न होती हैं, योजना का चयन करने वाली महिलाओं की शक्ति का स्तर इत्यादि को दर्ज किया जाना चाहिये।
- **लैंगिक दृष्टि से शहरी रोजगार योजना तैयार करना:**
 - महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम (डब्ल्यूयूईजीए) को एक सर्वव्यापी कानून के रूप में प्रारूपित किया जाए, जो लिंग-वभिदीकृत डेटा के आधार पर सरकार और प्राप्तकर्ताओं दोनों के अधिकारों, वशिषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को निरूपित करता हो।
 - वधिान में समान कार्य के लिये समान वेतन अनविरय किया जाना चाहिये, जहाँ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि महिलाओं को समान कार्य भूमिकाओं एवं ज़मिमेदारियों के लिये अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त हो।
- **संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण:**
 - WUEGA के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त वतितीय संसाधन आवंटित किया जाए ताकि वेतन, प्रशासनिक व्यय, अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण पहल के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
 - WUEGA के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम प्रशासकों और लाभार्थियों के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किये जाएँ।
- **कार्यान्वयन के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण:**
 - WUEGA को लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिये चुनदा शहरी क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम शुरू किये जाएँ। वभिनिन शहरी क्षेत्रों की तैयारी का आकलन करने और संभावित चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ।
 - WUEGA का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। इसका आरंभ शहरी क्षेत्रों से हो जहाँ अवसंरचना एवं समर्थनकारी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत सुविकसित होती हैं और फरि धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में वसितारित किया जाए।
- **कार्यान्वयन की प्रगति की नगिरानी करना:**
 - रोजगार सृजन, आय वृद्धि और कौशल विकास जैसे परिणामों पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन की प्रगति की नगिरानी करने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये सुदृढ़ नगिरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किये जाएँ।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना:**
 - सुरक्षा चिंताओं को कम करने और अधिक कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय लागू किये जाएँ, जनिमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, नगिरानी प्रणाली एवं पुलसि गश्त बढ़ाना शामिल है।
- **महिला उद्यमियों का समर्थन करना:**
 - महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिये सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जसिमें वतितीय संसाधनों, परामर्श कार्यक्रमों एवं नेटवर्कगि अवसरों तक पहुँच शामिल है, ताकि रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिये वैकल्पिक अवसर सृजित किये जा सकें।
- **साझेदारी और सहयोग:**
 - नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक समूहों, नजी क्षेत्र के हतिधारकों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी का निर्माण किया जाए।
- **जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिकोण में बदलाव लाना:**
 - लैंगिक रूढ़िवादता को चुनौती देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भूमिकाओं एवं क्षमताओं के प्रती सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये जागरूकता अभियान एवं संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित किये जाएँ।

नषिकरष:

भारत का संवधिान समानता एवं सामाजिक न्याय के सदिधांतों का समर्थन करता है, जहाँ रोजगार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का उपबंध किया गया है। WUEGA को लागू करना लैंगिक समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के इन संवेधानिक अधिदेशों एवं और नैतिक दायित्वों के अनुरूप है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता और आगे की राह की संभावित बाधाओं पर विचार कीजिये। देश में महिलाओं के प्रभावी आर्थिक सशक्तीकरण हेतु आवश्यक रणनीतियाँ बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन ग्रामीण क्षेत्रीय नरिधनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का कसि प्रकार प्रयास करता है? (2012)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए वनरिमाण उद्योग तथा कृषि वियापार केंद्र स्थापति कर।
2. 'स्व-सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएँ प्रदान कर।
3. कृषकों को नःशुल्क बीज, उर्वरक, डीज़ल पंपसेट तथा लघु सचिाई सयंत्र देकर।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्र. भारत में महिलाओं की सशक्तीकरण प्रक्रिया में 'गगि इकोनॉमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/enact-wuega-women-s-urban-employment-guarantee-act>

